आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–270/2021
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
श्रीमती चनरमा देवी——विक्रेता
प्रति
श्री नीरंजन कुमार चौधरी वगै०——क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका/विक्रेता श्रीमती चनरमा देवी, पति–श्री नान्हु चौधरी, ग्राम–डण्डा, पोस्ट–डण्डा, थाना–डण्डा, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता सं०–1 श्री नीरंजन कुमार चौधरी, पिता–मनोज कुमार चौधरी, क्रेता सं०–2 श्री प्रिय रंजन चौधरी, पिता–मनोज कुमार चौधरी, ग्राम–डण्डा, पोस्ट–डण्डा, थाना–डण्डा, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, डण्डा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, डण्डा के पत्रांक 127/दिनांक 15.07.2022 के द्वारा अंचल अधिकारी, डण्डा का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता के स्वयं के नाम से मांग पंजी II के पृष्ट सं०–112/8 पर चलता है। विक्रेता जाति के मल्लाह सूरिया (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेतागण मल्लाह सूरिया (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेतागण दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदिका/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल–कब्जें में हैं। यह भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, डण्डा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदिका/विक्रेता श्रीमती चनरमा देवी, पति–श्री नान्हु चौधरी, ग्राम–डण्डा, पोस्ट–डण्डा, थाना–डण्डा, जिला–गढ़वा ने क्रेता सं०–1 श्री नीरंजन कुमार चौधरी, पिता–मनोज कुमार चौधरी, क्रेता सं०–2 श्री प्रिय रंजन चौधरी, पिता–मनोज कुमार चौधरी, ग्राम–डण्डा, पोस्ट–डण्डा, थाना–डण्डा, जिला–गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तनान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरणः–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
डण्डा	301	197	465	0.11¼	उ०–रोड व नरायण साव, द०–नीज विक्रेता, पू०–मुख्य सड़क, प०–नीज विक्रेता,
			कुल रकबाः–	0.11¼	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

04.08.22
अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा

04.08.22
अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.06 15:54:56 +05:30
Location: 192.168.15.160

Scanned with CamScanner